

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- रमेशकुमार आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :-2013/00111

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र बाबत दावा विद्वाँ प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षकारों में सुलह हो गई है। इसलिए प्रार्थी/वादी उक्त वाद एवं प्रार्थनापत्र को आगे नहीं चलाना चाहता इसलिए पत्रावली/दावा विद्वाँ करने के आदेश करने का निवेदन किया है। पत्रावली व प्रार्थनापत्र अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर विद्वाँ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।